न्यायालय सहायक कलक्टर (मु0) सीकर
पीठासीन अधिकारी :– कविता गोदारा, आर0ए0एस0

वाद पत्र सं :: 120/2022
जीसीएमएस सं0 :: 2022/250

मूर्ति मंदिर श्री जानकी बल्लभजी महाराज बिराजमान ग्राम राणोली तहसील दांतारामगढ़ जिला सीकर जरिये पूजारी महेश दास चेला माधोदास उम्र 50 साल जाति ब्राहम्ण नि0 राणोली तहसील दांतारामगढ़, जिला सीकर।राज0।

– वादी,

बनाम

1. याकूब अली पुत्र जमाल खां जाति मुसलमान नि0 वा0नं0 18 ग्राम राणोली तहसील दांतारामगढ़ जिला सीकर।
2. मदनगोपाल पुत्र बंशीधर जाति ब्राहम्ण नि0 वा0नं0 18 ग्राम राणोली तहसील दांतारामगढ़ जिला सीकर।
3. त्हसीलदार, दांतारामगढ़ जरिए भूमिधारी।

– प्रतिवादीगण

उपस्थित :–. श्री सोहनलाल चौधरी, वकील वादी की ओर से।

दावा बाबत स्थाई निषेधाज्ञा प्रसारणार्थ।

निर्णय दिनांक :: 08.12.25

पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। वाद का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार से है कि भूमिया ख0नं0 982, 983, 984, 985, 987, 990, 994, 995, 996 कुल किता 9 कुल रकबा 1.20 है0 वाके ग्राम राणोली तहसील दांतारामगढ़ जिला सीकर की तन में अवस्थित है। जिसकी खातेदारी मूर्ति मंदिर श्री जानकी बल्लभजी विराजमान राणोली तहसील दांतारामगढ़ जिला सीकर के नाम से है, जो शाश्वत नाबालिग की श्रेणी में आता है। वादी मूर्ति मंदिर श्री जानकी बल्लभजी का पूजारी है इसलिए उसको मूर्ति मंदिर के हितों की रक्षार्थ उसकी ओर से उपरोक्त भूमियों के संबंध में दावा करने का विधिक अधिकार प्राप्त है। प्रति0सं0 1 व 2 का वाद की मद सं0 1 में वर्णित भूमियों से किसी तरह का कोई संबंध सरोकार नहीं है। वर्णित भूमियां मूर्ति मंदिर श्री जानकी बल्लभजी के खाते, कब्जे, काश्त की भूमियां है। प्रति0सं0 1 व 2 भूमाफिया व्यक्ति है, उनका मुख्य धंधा मूर्ति मंदिर की भूमियों पर नाजायज रूप से कब्जा कर उन पर अवैध रूप से निर्माण कर भूमियों को विक्रय करना चाहते है। प्रति0सं0 1 व 2 की गीद दृष्टि पिछले कई दिनों से मूर्ति मंदिर श्री जानकी बल्लभजी की उपरोक्त वर्णित भूमियों पर लगी हुई है तथा वे येन केन प्रकारेण मूर्ति मंदिर श्री जानकी बल्लभजी की उपरोक्त वर्णित भूमियों को हडपना चाहते है जिनका उनको कोई हक, अधिकार नहीं है। अपनी उक्त कुचेष्टाओं के क्रम में ही प्रतिवादी सं0 2 द्वारा प्रति0सं0 1 के हक में वादी मूर्ति मंदिर की खाते, कब्जे, काश्त की भूमियों के बाबत एक सर्वथा फर्जी, अवैध अनाधिकृत विक्रय का

सहायक कलक्टर (मु.) सीकर

इकरार दिनांक 13.06.2022 को 500/– रूपये के स्टाम्प पर टाईप करवाकर नोटेरी से तस्दीक करवा दिया। उक्त फर्जी अवैध विक्रय का इकरार के आधार पर प्रति0सं0 1 दिनांक 11.11.2022 को अपने साथ 3–4 अजनबी व्यक्तियों को लेकर वादग्रस्त भूमियों में से भूमि ख0नं0 984, 985, 987 पर लेकर आया तथा उनकी मदद से नाजायज रूप से उक्त भूमियों पर कब्जा करने की कुचेष्टाएं करने लगा जिसका उसे कोई कानूनी हक, अधिकार प्राप्त नहीं है। वादी द्वारा एतराज किया गया तो उस समय तो वे लोग चले गये लेकिन जाते–जाते धमकिंया देकर गये कि हम आज तो जा रहे है लेकिन जब भी मौका मिलेगा हम उपरोक्त वर्णित भूमिया ख0नं0 984, 985, 987 पर कब्जा करके रहेगे तथा कच्ची पक्की लिखावटों के द्वारा उक्त भूमियों को भू माफिया गिरोह के लोगों को विक्रय कर देगें। प्रति0सं0 1 भी मूर्ति मंदिर की भूमियों के बाबत अवैध रूप से कच्ची पक्की लिखावटे बना रहा है। जिसका उसे कोई हक, अधिकार प्राप्त नहीं है। वादी मूर्ति मंदिर शाश्वत नाबालिग है, उसके हितों की रक्षार्थ न्यायहित में प्रतिवादीगण सं0 1 व 2 को उनके उपरोक्त दुष्कृत्यों से बाज रहने हेतु उन्हें जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से प्रतिबंधित किया जावे। वादी द्वारा वाद पत्र पेश कर वाद की मद सं0 7 की उप मद क, ख, ग अनुसार वाद डिक्री करने हेतु निवेदन किया गया है।

वाद–पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये समन तलब किये जाने पर प्रति0सं0 1 ता 3 बावजूद रजिस्टर्ड तामील के हाजिर नहीं आने पर दिनांक 9.5.24 को उनके विरूद्ध कार्यवाही एकतरफा अमल में लाई गई।

वादी ने वाद के समर्थन में जमाबंदी संवत् 2076–79 वाके ग्राम राणोली तहसील दांतारामगढ़, सीकर प्रदर्श–01 पेश की तथा साक्ष्य में शपथ पत्र स्वंय वादी महेशदास चेला माधोदास जाति ब्राहम्ण नि0 राणोली तहसील दांतारामगढ़ पेश किया।

बहस के दौरान वकील वादी द्वारा वाद पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए वाद वादी डिक्री कर प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द करने हेतु निवेदन किया गया।

बहस वकील सुनी गई। बहस के दौरान वकील वादी द्वारा वाद में अंकित तथ्यों को ही दोहराते हुए वाद वादी डिक्री करने हेतु निवेदन किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया, जिससे जाहिर है कि कृषि भूमि भूमिया ख0नं0 982, 983, 984, 985, 987, 990, 994, 995, 996 कुल किता 9 कुल रकबा 1.20 है0 वाके ग्राम राणोली तहसील दांतारामगढ़ जिला सीकर की तन में अवस्थित है। जिसकी खातेदारी मूर्ति मंदिर श्री जानकी बल्लभजी विराजमान राणोली तहसील दांतारामगढ़ जिला सीकर के नाम से है, जो शाश्वत नाबालिग की श्रेणी में आता है। प्रतिवादी सं0 2 द्वारा प्रति0सं0 1 के हक में वादी मूर्ति मंदिर की खाते, कब्जे, काश्त की भूमियों के बाबत एक सर्वथा फर्जी, अवैध अनाधिकृत विक्रय का इकरार दिनांक 13.06.2022 को 500/– रूपये के स्टाम्प पर टाईप करवाकर नोटेरी से तस्दीक करवा दिया जाने एंव उक्त विक्रय का इकरार के आधार पर प्रति0सं0 1

कलक्टर(पू.)सीकर

दिनांक 11.11.2022 को अपने साथ 3–4 अजनबी व्यक्तियों को लेकर वादग्रस्त भूमियों में से भूमि ख0नं0 984, 985, 987 पर लेकर आया तथा उनकी मदद से नाजायज रूप से उक्त भूमियों पर कब्जा करने की कुचेष्टाएं करने पर वाद कारण उत्पन्न हुए है। चूंकि वादी मूर्ति मंदिर श्री जानकी बल्लभजी का पूजारी है इसलिए उसको मूर्ति मंदिर के हितों की रक्षार्थ उसकी ओर से उपरोक्त भूमियों के संबंध में दावा करने का विधिक अधिकार प्राप्त है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर वाद वादी डिक्री किया जाकर प्रतिवादीगण सं0 1 व 2 को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से प्रतिबंधित किया जाता है कि वे भूमियां खसरा नंबर 984 रकबा 0.07 है0 खसरा नंबर 985 रकबा 0.12 है0 खसरा नंबर 987 रकबा 0.05 है0 वाके ग्राम राणोली तहसील दांतारामगढ़, जिला सीकर पर किसी भी रूप में अतिक्रमण करने, कच्चा पक्का निम्रण करने, कब्जा करने, वादग्रस्त भूमि को वेस्ट डेमेज करने, भूखण्डों के रूप में विखण्डित करने तथा मौका की स्थिति में परिवर्तन करने से बाज रहे। उपरोक्तानुसार पर्चा डिक्री जारी हो

सहायक कलक्टर (मु0)सीकर
सहायक कलक्टर (मु.)सीकर

निर्णय आज दिनांक 08.12.2025 को लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

सहायक कलक्टर (मु0)सीकर
सहायक कलक्टर (मु.)सीकर